दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 08 फरवरी, 2023

मामले में:

ले.पे.अ. 61/2023 व सि.वि.आ. 3424/2023

मुकेश शर्मा .... अपीलार्थी

द्वारा : श्री सुरेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता

बनाम

वित्त मंत्रालय, अपने प्रतिनिधि सचिव द्वारा व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार, प्र-1 के लिए अधिवक्ता

श्री रिपु दमन भारद्वाज, वि.लो.अभि. सह श्री अभिनव भारद्वाज, प्र-3/सीबीआई के लिए अधिवक्ता

श्री अनुराग अहलुवालिया, प्र-4/इ.डी के लिए के.स.स्था.अधि.

कोरम :
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

1. वर्तमान ले.पे.अ. के माध्यम से, अपीलार्थी रि.या.(सि) 11274/2022 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.12.2022 को पारित निर्णय को चुनौती देना चाहता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें उसने स्वयं को सहकारी बैंक घोटाले, धन शोधन और हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) द्वारा अपने निदेशक के माध्यम से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के प्रबंधन के साथ मिलीभगत से निधियों के विविधीकरण के सूचना प्रदाता के रूप में घोषित करने की मांग की है।

2. ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि राकेश कुमार कुलदीपसिंह वाधवान, गौतम मेहरा, पवन मेहरा और रोमी पवन मेहरा ने केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से कई कंपनियां शुरू की थीं और राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त धन का गबन किया गया था। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, कथित राकेश कुमार कुलदीपसिंह वाधवान, गौतम मेहरा, पवन मेहरा और रोमी पवन मेहरा ने वर्ष 2004-2014 के बीच विभिन्न कंपनियों का गठन किया। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने कई कंपनियां बनाई और पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, येस बैंक लिमिटेड और अन्य बैंकों से

बैंक ऋण लिया। अपीलार्थी द्वारा ऐसा निवेदन किया गया है कि उसकी शिकायतों के बाद ही बैंक घोटाला सामने आया था। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने बैंक घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया में काफी जोखिम उठाया है और उसे संरक्षण देने और उसे सूचना प्रदाता घोषित करने के बजाय, इसमें अपीलार्थी को कोई श्रेय नहीं दिया गया है। इससे व्यथित हो कर अपीलार्थी ने रिट याचिका नामतः रि.या.(सि) 11274/2022 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने स्वयं को सूचना प्रदाता घोषित करने के लिए आदेश की मांग की है।

3. आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि किसी व्यक्ति को सूचना प्रदाता घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है और जहाँ तक यह प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी के पत्रों, शिकायतों और प्रयासों के परिणामस्वरूप घोटाले का खुलासा हुआ है या नहीं, के लिए तथ्यों की विस्तृत जांच की जाना आवश्यक है जिसे रिट न्यायालय द्वारा पलटा नहीं जा सकता। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह माना है कि यह न्यायालय अपीलार्थी की प्रशंसा कर सकता है यदि उसने कथित घोटाले का खुलासा करने में और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और इस

न्यायालय द्वारा इसके अतिरिक्त कोई अन्य राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को किसी भी ऐसे उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी है जो उसे किसी भी परिनियम के तहत उपलब्ध हो सकता है जो उसे पुरस्कृत किए जाने का हकदार बनाता है।

4. पक्षकारगण के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 पर भरोसा जताते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को कथित अधिनियम के तहत सूचना प्रदाता घोषित किया जाना चाहिए।

6. अपीलार्थी का कथित प्रतिवाद अमान्य है। किसी भी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग का पर्दाफाश करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 लाया गया था। यह पाया गया था कि भ्रष्टाचार और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को उजागर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को धमकियां और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में कई सूचना प्रदाता अपनी जान भी गंवा चुके थे। विधि आयोग की

सिफारिशों पर ऐसे सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान और भ्रष्टाचार तथा शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार या शक्ति का जानबूझकर दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना और इस तरह की शिकायतें करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना था।

7. सूचना प्रदाता अधिनियम की धारा 4 किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है जो किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी है। धारा 5 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच का प्रावधान है जिसमें संबंधित लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना शामिल है। भ्रष्ट आचरण या लोक सेवक के कार्यालय या लोक सेवक के विवेकाधिकार के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के निवारण के लिए कदमों को निर्धारित किया गया है। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 के अध्याय 5 में ऐसे खुलासे करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 के अध्याय 5 की धारा 11 से 13 इस प्रकार हैः

*"**11.** उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा - (1) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति या लोक सेवक जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई खुलासा किया है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही आरम्भ कर उसे उत्पीड़ित अन्यथा केवल इस आधार पर न किया जाए कि उस व्यक्ति या लोक सेवक ने इस अधिनियम के अधीन कोई खुलासा किया है या जांच में सहायता प्रदान की है।*

***(2)** यदि किसी व्यक्ति को इस आधार पर पीड़ित किया जा रहा है या पीड़ित किए जाने की संभावना है कि उसने इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की है या खुलासा किया है या जांच में सहायता प्रदान की है, तो वह इस मामले में निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है और ऐसा प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को पीड़ित होने से बचाने या उसको उत्पीड़न से बचने के लिए संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को उपयुक्त निर्देश दे सकता हैः*

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को ऐसा कोई निदेश देने से पूर्व, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी या लोक सेवक, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगाः

बशर्ते कि इस तरह की किसी भी सुनवाई में, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व लोक प्राधिकारी पर होगा कि लोक प्राधिकारी की ओर से कथित कार्रवाई उत्पीड़न नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक निर्देश लोक सेवक या लोक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा जिसके खिलाफ उत्पीड़न का आरोप सिद्ध हो चुका है।

(4) किसी लोक सेवक के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के अध्यारोही भी, उपधारा (2) के अधीन निर्देश देने की शक्ति में खुलासा करने वाले लोक सेवक को पूर्व की यथास्थिति में बहाल करने के लिए निर्देश देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(5) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उस पर तीस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

***(12)** गवाहों और अन्य व्यक्तियों का संरक्षण - यदि, शिकायतकर्ता की शिकायत पर, या गवाहों की, या*

एकत्रित जानकारी के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि शिकायतकर्ता या लोक सेवक या गवाहों या इस अधिनियम के तहत जांच के लिए सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित सरकारी प्राधिकारियों (पुलिस सहित) को उचित निर्देश जारी करेगा, जो अपनी एजेंसियों के माध्यम से ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक या संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

***(13)** शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण - सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के तहत आवश्यक किसी भी कानून के अध्यारोही, इस अधिनियम के तहत जांच के प्रयोजनों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी को गुप्त रखेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं ऐसा निर्णय न लिया जाए या न्यायालय के आदेश के आधार पर उसे प्रस्तुत करना या पेश करना आवश्यक न हो जाए।"*

8. यदि अपीलार्थी वास्तव में एक सूचना प्रदाता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना होगा। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित प्रकार से बताया गया है कि इसमें घोटाले का खुलासा करने में अपीलार्थी की भूमिका के

बारे में तथ्यों और यह भी कि क्या जांच आदि में सूचना प्रदाता अधिनियम के तहत की गई है अथवा नहीं के सवालों में नहीं जा सकते हैं।

9. यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि यदि अपीलार्थी उत्पीड़न से पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करता है, तो यह सक्षम प्राधिकारी का दायित्व है कि वह विधि अनुसार उसके मामले पर विचार करे और उसके बाद उचित कार्रवाई करे।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही अपीलार्थी को विधि अनुसार ऐसे कदम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जो उसे विधि के अंतर्गत अनुमेय हैं। इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है।

11. तदनुसार, उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, के साथ वर्तमान ले.पे.अ. को खारिज किया जाता है।

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

सुब्रमोणयम प्रसाद, न्या.

08 फरवरी, 2023
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

"Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation."